

देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन-से कारक उत्तरदायी थे? विस्तार से स्पष्ट कीजिए।
What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. [UPSC 2024]

भारत में भूमि सुधारों का कार्यान्वयन संपूर्ण देश में एकसमान नहीं रहा है। जहाँ अधिकांश राज्यों में प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक अनिच्छा के कारण ये सुधार आंशिक ही रहे, वहीं केरला, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया अत्यधिक सफल रही। इन क्षेत्रों में भूमि सुधारों की सफलता के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक कारकों का एक एकीकृत संगम जिम्मेदार रहा, जिसकी विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है:

1. **दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं स्पष्ट विधायी ढांचा राजनीतिक प्रतिबद्धता:** जिन राज्यों में वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध सरकारें सत्ता में आईं, वहाँ भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

- उदाहरण: केरला में केरला भूमि सुधार अधिनियम, 1963 और पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा (1978) के जरिए काश्तकारों को स्थायी स्वामित्व/सुरक्षा अधिकार दिए गए।
- **क्रांतिकारी कानून:** बिना किसी न्यायिक या प्रशासनिक लचीलेपन के कड़े कानून बनाए गए।
 - उदाहरण: जम्मू एवं कश्मीर में बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, 1950 के तहत बिना किसी मुआवजे के अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण किया गया, जो भारत का सबसे क्रांतिकारी कदम था।

2. **सामाजिक लामबंदी, किसान आंदोलन एवं नागरिक समाज**

- **सक्रिय जन आंदोलन:** धरातल पर वामपंथी संगठनों और किसान सभाओं द्वारा चलाए गए आंदोलनों ने सरकार पर सुधार लागू करने का निरंतर दबाव बनाया।
 - उदाहरण: तेभागा आंदोलन (बंगाल) और तेलंगाना किसान आंदोलन ने काश्तकारों में अपने हक के प्रति चेतना जगाई।
- **भूमि साक्षरता:** उच्च साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लाभार्थी अपने अधिकारों (जैसे भूमि सीमा कानून और काश्तकारी सुरक्षा) के प्रति सजग थे, जिससे बिचौलियों या राजस्व अधिकारियों द्वारा हेरफेर की संभावना नगण्य हो गई।



3. **कुशल प्रशासनिक तंत्र, विकेंद्रीकरण एवं राजस्व रिकॉर्ड अभिलेखों का मौके पर ही अद्यतनीकरण:** भूमि सुधारों की पूर्ण शर्त सटीक भू-अभिलेख थे, जिन्हें पारदर्शी तरीकों से तैयार किया गया।

- उदाहरण: पश्चिम बंगाल में 'ऑपरेशन बर्गा' के तहत राजस्व अधिकारियों ने सीधे गांवों में शिविर लगाकर 15 लाख से अधिक बर्गादारों का तत्काल पंजीकरण किया।
- **पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों की भागीदारी:** त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को भूमि चिह्नीकरण और आवंटन में सीधे शामिल किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

4. **न्यायिक और संवैधानिक संरक्षण**

- **नौवीं अनुसूची का सुरक्षा कवच:** संसद और राज्य विधानमंडलों ने भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराया, जिससे शुरुआती दौर में इन्हें संपत्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालती मुकदमों में फंसने से बचाया जा सका।
- **समर्पित न्यायाधिकरण:** विशेष भूमि न्यायाधिकरणों का गठन करके मामलों का त्वरित निपटारा किया गया, जिससे भू-स्वामियों द्वारा मुकदमों के माध्यम से प्रक्रिया को लटकाने की रणनीति विफल हो गई।

5. संस्थागत, साख एवं पूरक सहायता प्रणाली



- **संस्थागत साख तक पहुँच:** केवल भूमि आवंटन पर्याप्त नहीं था; नए भूमिस्वामियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए **प्राथमिक कृषि साख समितियों** और **नाबार्ड** के माध्यम से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **हरित क्रांति के इनपुट से जुड़ाव:** तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में नए भूमिधारकों को बीज, उर्वरक और सिंचाई सहायता प्रदान की गई, जिससे वितरित भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई और वे आत्मनिर्भर बने।

6. आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल एकीकरण

- **डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण:** पारदर्शी स्वामित्व और धोखाधड़ी रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
 - **उदाहरण: भू-आधार (ULPIN), जीआईएस मैपिंग और ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना** के माध्यम से बेनामी संपत्तियों तथा भूमि विवादों में भारी कमी आई है।

निष्कर्ष

संक्षेप में, जिन राज्यों में "टूढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता, निचले स्तर पर जन-आंदोलन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और संस्थागत साख" का त्रिस्तरीय संगम देखने को मिला, वहाँ भूमि सुधार अत्यंत सफल रहे। हालिया केंद्रीय बजटों में प्रस्तावित **भू-आधार, डिजिटल कैडस्ट्रल मैपिंग** और भूमि रिकॉर्ड्स का रजिस्ट्रीकरण इसी सफल मॉडल को आधुनिक डिजिटल स्वरूप देकर पूरे देश में एक पारदर्शी और न्यायसंगत भूमि प्रशासन स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।